FORM NO. 111

फर्द अहकाम (नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रींगस

उनवान प्रभू धायल बनाम भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रा0पत्र–अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मु.न 123/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अह काम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
01.08.2025	प्रार्थी प्रभू धायल ने पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा मे प्रा0 पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोटड़ी धायलान के जमाबंदी संवत 2074–77 के खाता सं0 43, 95, 335, 210, 40, 21, में प्रार्थी का नाम नाथूराम उर्फ प्रभूदयाल पुत्र पदमाराम, नाथूराम उर्फ प्रभुदयाल पुत्र पदमा दर्ज है। जबकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम प्रभू धायल पुत्र पदमाराम है। अतः प्रार्थी का नाम उक्त खातो में प्रभू धायल पुत्र पदमाराम दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की तहसीलदार रींगस के द्वारा की गयी । मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी का नाम खाता सं0 43, 95, 335, 210, 40, 21 में प्रभू धायल पुत्र पदमाराम किया जाना उचित होने की रिपोर्ट की है। साथ ही प्रार्थी का आधार कार्ड , पेन कार्ड की प्रतियों के अवलोकन से साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम प्रभू धायल पुत्र पदमाराम है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रींगस को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नाथूराम उर्फ प्रभूदयाल पुत्र पदमाराम, नाथूराम उर्फ प्रभुदयाल पुत्र पदमा के स्थान पर प्रभू धायल पुत्र पदमाराम दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार रींगस को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी रींगस (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brajesh Kumar
Date: 2025.08.13 12:02:15 IST
Reason: SelfAttested